समक्ष न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 भू-राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर,

सर्किट बैंच (कैम्प) जबलपुर म0प्र0

I/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा/2017/4315

रिवीजन प्रकरण क्रमांक :- /2017

रिवीजनकर्ता :- गजानन पिता राजाराम खौडनकर आयु लगभग वर्ष, निवासी लोधीखेड़ा, तहसील सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा म0प्र0

विरुद्ध

अनावेदकगण :- (1) श्रीमति गंगूबाई पति स्व. श्री डोमा खौडनकर,

(2) शालिकराम पिता स्व. श्री डोमा खौडनकर

(3) पांडुरंग पिता स्व. श्री डोमा खौडनकर

(4) यमुना बाई विधवा भाऊराव बालपाण्डे,

(5) मंदाबाई पति विष्णु टेकाडे,

(6) नेमीचंद पिता डोमा खौडनकर

सभी निवासी- लोधीखेड़ा तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.

(7) कुसुमबाई पति विष्णु राहते, निवासी-बिड़गांव, पोष्ट केलोद, तहसील सावनेर, जिला नागपुर महाराष्ट्र

रिवीजन अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959.

रिवीजनकर्ता, माननीय राजस्व मण्डल बोर्ड के समक्ष माननीय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा द्वितीय राजस्व अपील प्र0 क्र0 588/ए-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 27.9.16 (सलंग्न दस्तावेज प्रदर्श पी-1) उदभूत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा म0प्र0 के रा0 प्र0क्र0/71/अ-6/2011-12 आदेश दिनांक 21.01.2013 से परिवेदित होकर, विद्वान निम्न न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा म.प्र. द्वारा रा.प्र.क्रं. 88:अ-06/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2011 को स्थिर रखते हुए पुष्टि किए जाने हेतु निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पर यह रिवीजन प्रस्तुत है कि :-

NOTARY RAMDAS SHARMA M.P.19/2014/21-B(2)2013 JABALPUR (M.P.)

25 SEP 2017

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/4315

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/3/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरुद्ध दिनांक 25.09.2017 को लगभग एक वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है। विलंब के संबंध में यह आधार लिया गया है कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आदेश की जानकारी नहीं दी गई। जून-2017 में आवेदक को अपने अधिवक्ता से जानकारी लेने पर पता चला कि दिनांक 27.09.2017 को आदेश पारित हो चुका है, इसके उपरांत उन्हें दिनांक 14.07.2017 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई। उसके उपरांत यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 25.09.2017 को प्रस्तुत की गई है जो जानकारी के दिनांक से समयावधि में है। आवेदक द्वारा विलंब क्षमा करने के संबंध में दिया गया उक्त तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा इस संबंध में अधिवक्ता का कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त उनको 14.07.2017 को नकल प्राप्त होने के दो माह से भी अधिक समय उपरांत निगरानी पेश की गई है, इस विलंब का भी कोई समुचित एवं समाधानकारक कारण नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	